राजस्व लोक अदालत 2017 केम्प कोर्ट बबराणा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

(बईजलास श्री रतनलाल रेगर आर ए एस)

प्रकरण संख्या 72/2015 प्रार्थनापत्र एलआर

अनवान

1. हेमराज पिता मोहन माली निवासी अमरपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

..... प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0 ..... विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :::– **श्री मुरारी जोशी वकील प्रार्थी**

–:: निर्णय ::–

दिनांक 12.05.2017

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम लापिया तहसील बनेडा की जमाबंदी सम्वत 2067 से 70 के खतौनी संख्या 250 में खुले विरासत से नामान्तकरण से प्रार्थी का नाम हेमराज पिता मोहन माली दर्ज रिकार्ड चला आ रहा है, जो सही है। किन्तु ग्राम अमरपुरा तहसील बनेडा की जमाबंदी सम्वत् 2071 से 74 खतौनी संख्या 47 के आराजी संख्या 642, 648 मे प्रार्थी का नाम पर विरासत से खुले नामान्तकरण संख्या 937 दिनांक 19.01.2007 में हेमराज पिता मोहन माली के बजाय श्यामलाल पिता मोहन माली दर्ज रेकार्ड हो गया है तथा उक्त लिपिकीय त्रुटी आजदिनांक तक अनव्रत जारी है जिसे संशोधन की आज्ञा प्रदान की जावें।
2. विपक्षी की जरिये सम्मन तलबी की गई। इसी दौरान प्रकरण को राजस्व लोक अदालत के केम्प बबराणा के लिए पंजिबद्ध किया गया तथा विपक्षी ने प्रार्थी के प्रार्थना के प्रा.पत्र को स्वीकार किये जाने मे किसी प्रकार की कोई आपत्त्ती होना जाहीर नही किया तथा अपनी और से सहमति रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे शामिल पत्रावली किया गया । प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र तथा साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत दस्तावेजी पर अध्ययन व मनन पश्चात प्रार्थी का प्रा.पत्र सहमति से लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए स्वीकार योग्य है प्रतीत होता है।

–:: आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरूद्ध विपक्षी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बनेड़ा को निर्देशित किया जाता है कि वाके ग्राम अमरपुरा तहसील बनेडा की वर्तमान जमाबंदी के खतौनी संख्या 47 के आराजी संख्या 642, 648 मे प्रार्थी का नाम मे दर्ज श्यामलाल पिता मोहन माली के स्थान हेमराज पिता मोहन माली संशोधित किया जावें।

यह आदेश आज दिनांक 12.05.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बबराणा में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़
जिला भीलवाड़ा
दिनांक 12/5/2017

कमांक/प्रा.पत्र. एलआर /प्र.स. 72/2015

प्रतिलिपिः–

तहसीलदार बनेडा को भेजकर लेख है कि माफिक आदेश के राजस्व अभिलेखों में पालना की जाकर मय पालना रिपोर्ट के नकल जमाबंदी सहित 30 दिन की समयावधि में प्रस्तुत करने की सुनिश्चिता करें।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा,
जिला भीलवाड़ा